

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27 / 05 / 2020


क्रमांक 977 / 4021 / 2019 / 1 / 59 :: डॉ०नाथू सिंह रावत, (सेवानिवृत्त) सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला दतिया की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 4873 / 2010 में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय 11.07.2016 के पालन में एवं अवमानना याचिका क्रमांक 989 / 2017 जिसके संबंध में सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 08.02.1997 से पदोन्नति हेतु रिब्यू डी.पी.सी. का पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.03.2020 को आयोजित की गई।

2/- पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर डा०नाथू सिंह रावत, सेवानिवृत्त सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी दतिया को आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनसे कनिष्ठ डॉ.अरविंद कुमार कुलश्रेष्ठ एवं डॉ०पाठरीनाथ पाटीदार को दी गई प्राफार्मा पदोन्नति दिनांक 8.8.1997 से पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने अनुशंसा की है।

3/- अतः राज्य शासन एतद्वारा डा०नाथू सिंह रावत, सेवानिवृत्त सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी दतिया को आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनसे कनिष्ठ डॉ.अरविंद कुमार कुलश्रेष्ठ एवं डॉ०पाठरीनाथ पाटीदार को दी गई प्राफार्मा पदोन्नति दिनांक 8.8.1997 से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति करता है।

4/- डा०नाथू सिंह रावत, सेवानिवृत्त सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी दतिया को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विरेन्द्र कुमार विरूद्ध अविनाश चंद्र चडढा (1990) 3 एस.सी.सी. 472 एवं यूनियन ऑफ इंडिया विरूद्ध तार्सेम लाल (2006) 10 एस.सी.सी. 145 के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर डा०नाथू सिंह रावत की प्रोफार्मा पदोन्नति दिनांक 8.8.1997 से केवल नोशनल वेतनवृद्धि पाने की पात्रता होगी लेकिन वेतनलाभ पाने की पात्रता नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
23-5-2020

(कलावती उइके)


अवर सचिव

६ मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

क्रमांक 978 / 4021 / 2019 / 1 / 59  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 27 / 05 / 2020

- 1- निज सचिव, सचिव, म.प्र.शासन, आयुष विभाग, भोपाल।
- 2- आयुक्त, आयुष संचालनालय भोपाल।
- 3- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
- 4- जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय दतिया।
- 5- संभागीय आयुष अधिकारी ग्वालियर।
- 6- कोर्ट संपर्क अधिकारी, द्वारा-कार्यालय संभागीय आयुष अधिकारी ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
- 7- उप संचालक, संचालनालय, आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शन हेतु।
- 8- कोर्ट नोडल अधिकारी, संचालनालय आयुष भोपाल।
- 9- जिला आयुष अधिकारी, जिला दतिया। कृपया आदेश की एक प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु प्रेषित।
- 10- डा०नाथू सिंह रावत, सेवानिवृत्त सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, द्वारा-जिला आयुष अधिकारी जिला दतिया।
- 11- स्थापना लिपिक/आर्डर फोल्डर।

  
23-5-2020

अवर सचिव

के मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग